मंदिर जति श्रीनृसिंह बनाम हबीबखां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा सं. - 117/2023	
21.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30.04.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1669 रकबा 0.3800 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 7/19 निहित है। वादी उक्त भूमि का खातेदार नहीं है एंव ना ही वादी का कोई सरोकार ही है। वादी ने बिना खातेदारी वादपत्र बाबत आदेशात्मक व्यादेश एंव स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में पेश किया है। जो वादी ने बिना किसी विधिक अधिकार के पेश किया है। वादी विधिक रूप से भूमि खसरा नम्बर 1670, 1671/1, 1671/2, 1671/3 कुल किता 4 कुल रकबा 5.57 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला का ना विधिक पुजारी है, ना ही वादपत्र के साथ मंदिर पुजारी का प्रमाण पत्र पेश किया है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, जहां से वादी ने सीमा विवाद वादकारण बताया है। वादी का किसी पड़ौसी खातेदार से सीमा विवाद है तो भूमियों का सीमाज्ञान के लिए धारा 120 भू.रा.अधि.एक्ट निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है। वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध जाकर वादपत्र पेश किया है। जो वादी ने केवल मात्र पड़ौसी खातेदारों को हैरान परेशान करने के लिए बिना किसी विधिक प्रकिया के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक -लगातार-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

मंदिर मूर्ति नृसिंह बनाम हलील खां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दि.न.- 11/2023	

दिना

मुण्डरू व पटवारी हल्का फुटाला से दिनाक 09.08.2023 व दिनाक 21.09.2023 को मँगवाई जा चुकी है। जिसके अनुसार भी प्रार्थी/वादी की भूमि पर निर्माण कर स्वय के खेत खसरा नम्बर 1669 रकबा 0.3800 हैक्टर पर निर्माण कर रहा था। अतः वादी का वादकारण मिथ्या होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी/अप्रार्थी ने अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादी ने अवगत कराया कि अप्रार्थी/वादी ने मंदिर मूर्ति की सुरक्षार्थ उक्त वाद वैधानिक तरीके से पेश किया है। जिसके बाबत उज्र करने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण करने पर आमादा होने व बिना सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये मंदिर भूमि में करीब 13 फुट लम्बाई में अवैध होटल का निर्माण करने एंव वादी तथा अन्य ग्रामीण लोगों द्वारा प्रतिवादीगण को निर्माण नहीं करने बाबत कहने पर नहीं मानने के कारण वादी द्वारा उक्त दावा न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के दायरे में नहीं आने के कारण कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मंदिर मूर्ति की भूमि से सम्बन्धित पेश किया है। जिसमें वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1669 में वादी अप्रार्थी कोई खातेदार काश्तकार नहीं है। भूमि [illegible] 0, 1671/1, 1671/2, 1671/3 [illegible] 7 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला [illegible] खातेदारी मंदिर श्री नृसिंहजी वाके देह के नाम दर्ज रिक[illegible] है। जिसके पुजारी की हैसियत से उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश की है परन्तु पुजारी की हैसियत का कोई प्रमाण या दस्तावेजात् पेश नहीं किया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादी/अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

उक्त भूमियों का विधिक पुजारी हूं। जहां तक वादी ने अपने वादपत्र की मद संख्या 5 में वादकारण व प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण करने पर आमादा होने व बिना सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये मंदिर भूमि से करीब 33 फुट लम्बाई में अवैध हाटल का निर्माण करने एवं वादी तथा अन्य ग्रामीण लोगों द्वारा प्रतिवादीगण को निर्माण नहीं करने बाबत कहने पर नहीं मानने व निर्माण को हटाने से दिनांक 05.08.2023 को मना करने पर वादकारण उत्पन्न होने पर वादी/अप्रार्थी द्वारा उक्त दावा न्यायालय में पेश किया गया है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त मुण्डरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.08.2023 में निर्माणाधीन स्थल को नक्शा लट्ठा से नापकर देखे जाने पर निर्माणाधीन स्थल मन्दिर मूर्ति के उल्लेखित खसरा नम्बरों में स्थित न होकर खसरा नम्बर 1669 में स्थित होना स्पष्ट अंकित किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 1670, 1671/1, 1671/2, 1671/3 कुल किता 4 कुल रकबा 5.57 हेक्टर बाबत कोई वादकारण वादी/अप्रार्थी को पैदा नहीं होता है। जबकि वादी/अप्रार्थी द्वारा बिना खातेदारी भूमि के प्रस्तुत वादपत्र बाबत आदेशात्मक व्यादेश एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना प्रकट होता है। जहाँ तक वादी ने सीमा विवाद बाबत वादकारण बताया है तो सीमाज्ञान के विवाद सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 एल0आर0एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये जाकर उचित अनुतोष न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है।

वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत आदेशात्मक व्यादेश एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसमें वादी उक्त वादग्रस्त भूमियों में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट नहीं होता है। वादी/अप्रार्थी द्वारा [illegible] किया है। सीमा विवाद के प्रकरणों को सीमाज्ञान [illegible] नियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 एल0आर0एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये जा[illegible] उचित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2023 से स्पष्ट है कि निर्माणाधीन स्थल को नक्शा लट्ठा से नापकर देखे जाने पर निर्माणाधीन स्थल मन्दिर मूर्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested

—लगातार—

मन्दिर श्री नृसिंहजी बनाम हबीब खां

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा

वाद सं: 117/2023

नम्बर
अहका
हुक्म की
जा

उपरोक्त खसरा नम्बरो मे स्थित न होकर खसरा नम्बर 1669 मे स्थित होना स्पष्ट अंकित किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नम्बर 1670, 1671/1, 1671/2, 1671/3 कुल किता 4 कुल रकबा 5.57 हैक्टर बाबत कोई वादकारण वादी/अप्रार्थी को पैदा नही होता है। इस प्रकार वादी का वाद विधि से बाधित होने व खसरा नम्बर 1669 की सीमा हेतु वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कारण चलने योग्य नही है।

अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उनवानी मंदिर श्री नृसिंहजी वाके ग्राम मुण्डरू बनाम् हबीब खॉ वगैरह मुकदमा संख्या 117/2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 91/2023 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
खण्ड अधिकारी
(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:24 IST
Reason: SelfAttested